



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP51690567015742Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature:

ACC Name: Vinod Kumar Sharma

ACC Code: UP15154404

Mobile No.: 8429586077

Licence No.: 414

Th. Kanya, Dis.-Kushinagar

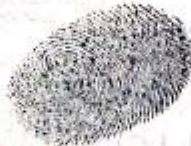
Certificate No. : IN-UP51690567015742Y
Certificate Issued Date : 08-May-2026 02:58 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up15154404/ KASIA/ UP-KSN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1515440498172268359744Y
Purchased by : SUDHAKAR PANDEY SO RAMJI PANDEY
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : SUDHAKAR PANDEY SO RAMJI PANDEY
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : SUDHAKAR PANDEY SO RAMJI PANDEY
Stamp Duty Amount(Rs.) : 800
(Eight Hundred only)



Please write or type below this line



Handy



PF

0036209567

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.e-stampsonline.gov.in using a Green Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on the Certificate and its availability on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The once of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Scanned with OKEN Scanner



ट्रस्ट-डीड

- 1- संस्था का नाम :- लालजी बाबा ट्रस्ट ।
- 2- संस्था का पूरा पता :- वार्ड नं०-21 बुद्धनगरी, झुंगवा पो० कुशीनगर
तहसील-कसया, जनपद कुशीनगर ।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
- 4- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-
विशिष्ट सदस्य :- संस्था के प्रति हितैषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर संस्था को वार्षिक सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा ।
साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को वार्षिक 501 नगद देता रहेगा वह संस्था का साधारण सदस्य माना जायेगा ।
- 5- सदस्यता की समाप्ति :-
निम्न परिस्थितियों में किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है ।
 - 1- मृत्यु होने पर
 - 2- पागल अथवा दिवालिया होने पर
 - 3- संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर ।
 - 4- त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर पारित होने पर ।
 - 5- संस्था के सम्पत्ति का अपव्यय करने पर ।
 - 6- किसी न्यायालय में दण्डित होने पर ।
 - 7- सदस्यता शुल्क न देने पर ।
 - 8- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
 - 9- पद का दुरुपयोग एवं वित्तिय अनियमितता करने पर ।
6. संस्था के अंग-
अ- साधारण सभा ब-प्रबन्धकारिणी समिति ।

5) संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनकों संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौपा गया है—

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता
1	श्री सुधाकर पाण्डेय	श्री रामजी पाण्डेय	अध्यक्ष	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर। आधार सं०-XXXX2171 पैनकार्ड नं०-BFRPP4514F Mob-8423849071
2	श्रीमती अर्पिता तिवारी	श्री रजनीकान्त पाण्डेय	उपाध्यक्ष	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर। आधार सं०-XXXX9646 पैनकार्ड नं०-ASMP8508J Mob-7905605399
3	श्री कृष्णा पाण्डेय	श्री गिरजेश पाण्डेय	सचिव/ प्रबन्धक	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर। आधार सं०-XXXX3080 पैनकार्ड नं०-JCAPP1700C Mob-9170316993
4	श्रीमती सत्या पाण्डेय	स्व० नरेन्द्रदेव पाण्डेय	उपसचिव/ उप प्रबन्धक	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर। आधार सं०-XXXX3261 पैनकार्ड नं०-FXQPP3775K Mob-6392535434
5	श्री नलनीकान्त पाण्डेय	श्री सम्पूर्णानन्द पाण्डेय	कोषाध्यक्ष	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर। आधार सं०-XXXX2995 पैनकार्ड नं०-BSHPP8832K Mob-9415770773
6	श्री हृषिकेश पाण्डेय	श्री बालकृष्ण पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर।
7	श्री गिरजेश पाण्डेय	श्री लक्ष्मण पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर।
8	कु प्रभा पाण्डेय	स्व० नरेन्द्रदेव पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर।
9	श्री कश्यप पाण्डेय	श्री सम्पूर्णानन्द पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर।
10	श्री रामजी पाण्डेय	स्व० लालजी पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर।
11	श्री आयुष पाण्डेय	श्री सुधाकर पाण्डेय	सदस्य	ग्राम झुगवों पो० व जिला कुशीनगर।

इस ट्रस्ट के लिए ग्यारह हजार रुपये देता हूँ। यह राशि ट्रस्ट के उद्देश्यों पर व्यय की जायेगी। ट्रस्ट डीड में जो नियम एवं उपनियम निर्धारित किये गये हैं। उनके अनुसार तथा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धाराओं के अनुसार ट्रस्ट संचालित होगा।



न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 31

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

श्री सुधाकर पाण्डेय,
पुत्र श्री रामजी पाण्डेय
व्यवसाय: कृषि

निवासी: पता वार्ड नं 21 बुद्ध नगरी, झुगवा तहसील कसया जिला कुशीनगर

Handwritten signature

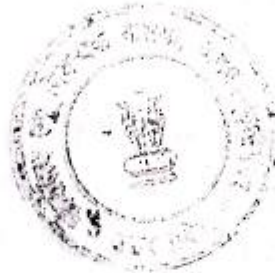


ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08/05/2026 एवं 04:45:11 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्रशेखर शही.
उप निबंधक : कसया
कुशीनगर
08/05/2026

मुन्नी लाल प्रसाद
निबंधक लिपिक
08/05/2026



धारण सभा -

गठन - सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

4- बैठक - साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है ।

7- संस्था के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं निर्बल और निम्न आर्थिक वर्ग हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी कराने का प्रयास करना ।

8- समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना के बारे में लोगों को ज्ञान करवाना व शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।

9- दिव्यांग, शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना तथा रहने हेतु निःशुल्क आश्रम बनवाना ।

10- विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना व निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करने का प्रयास करना ।

11- बालश्रम विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय का प्रबन्ध करना व बालक/बालिकाओं के लिए हास्टल का प्रबन्ध करना ।

12- संस्था के माध्यम से शासन से पूर्व अनुमति लेकर रोजगार परक मिनी आई.टी.आई खोलना व संचालित करना एवं रोजगार के साधन उपलब्ध कराना ।

13- कृषि कार्य हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना व आधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, पशुपालन व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना ।

14- औषधि कार्यों के लिए जड़ी-बूटियों, जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रमों के द्वारा जैविक खेती की जानकारी देकर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना व औषधिय पौधों का रोपड़ एवं संरक्षण करना ।

15- संस्था के माध्यम से परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों का संचालन करना व लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व योग के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद व होम्योपैथ के बारे में जानकारी कराने का प्रयास करना व रोगियों को लाने व ले जाने हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था कराना ।

16- संस्था के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में योग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी टीकाकरण सम्बन्धी कार्यों व निःशुल्क चिकित्सा शिविर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना व सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करना व पल्स पोलियो, एड्स, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर हैजा, मलेरिया, टी.वी जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम का प्रयास करना ।

17- जल संरक्षण, जल संचयन, जलचक्र व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना तथा जल प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय संगोष्ठी शोध केन्द्रों, नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना एवं जल संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना ।

18- संस्था के माध्यम से भेड़, बकरी, मुर्गी पालन को बढ़ावा देना व पशुओं के रहने के लिए पशुवाडा की स्थापना करना व दुग्ध डेयरी का संचालन व विस्तार करना ।

19- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।



बही स०: 4

रजिस्ट्रेशन स०: 31

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री सुधाकर पाण्डेय,

[SUDHAKAR PANDEY

पुत्र श्री रामजी पाण्डेय

Sudhakar

निवासी: पता वार्ड नं 21 बुद्ध नगरी, झुगवा तहसील कसया जिला कुशीनगर

व्यवसाय: कृषि



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री संजीत शर्मा, पुत्र श्री महंथी

निवासी: पता अडरौना परसौनी जिला कुशीनगर

व्यवसाय: कृषि

संजीत शर्मा

पहचानकर्ता: 2



श्री धीरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री कमला प्रसाद

निवासी: पता वार्ड नं 21 बुद्ध नगरी, झुगवा तहसील कसया जिला कुशीनगर

व्यवसाय: कृषि

धीरेन्द्र कुमार



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:



चन्द्रशेखर शाही
उप निबंधक : कसया
कुशीनगर
08/05/2026

मुन्नी लाल प्रसाद
निबंधक लिपिक कुशीनगर
08/05/2026

- ५- शासन, प्रशासन के सहयोग से नाली, सीवर, खड़जा, पार्क, पुलिया बनवाना व स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- 21- निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं को निःशुल्क छात्रावास व पुस्तकालय का प्रबन्ध करना ।
- 22- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा उ०प्र० सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों व विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देना ।
- 23- दहेज प्रथा, अंध विश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना ।
- 24- बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ, आई.एल.ओ. यूनोडो, सिडवी, नवार्ड, कपार्ट,यूनिफेम एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं से जानकारी प्राप्तकरना व संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना ।
- 25- महिला उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार की रोकथाम शासन के सहयोग से करना ।
- 26- विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय, आश्रम पद्धित विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना करना ।
- 27- आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्यूनिटी हाल, बारात घर, महिला आश्रम अनाथालय, प्याऊ, धमार्थ डिस्पेन्सरी व निशुल्क स्टूडियो, रात्रि निवास, साईं स्टे होम, मूक बधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।
- 28-बालिकाओं/महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार आक्रमण को रोकथाम हेतू बालिकाओं/महिलाओं को आवश्यक जानकारी देना व अविवाहित बच्चीयों व पारिवारिक हिंसा, दहेज प्रथा, दहेज पीड़ित से ग्रस्त को मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब असहाय लड़कियों की शादी करवाना व सामूहिक विवाहों का आयोजन करवाना व नारी सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यों का प्रचार-प्रसार करना ।
- 29- प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सामाग्रियों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति विकसित करना व पर्यावरण नियन्त्रण हेतु कार्य करना ।
- 30- वन सम्पदा के दोहन को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना व पर्यावरण के गुणों के बारे में जानकारी देना व प्रदुषण नियन्त्रण हेतु प्रयास करना ।
- 31- गौशाला खुलवा कर पशुपक्षियों की सेवा करना व जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ कार्य करना ।
- 32- दैवी आपदा, बाढ़, भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग, महामारी व अन्य बीमारियों में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन-साधारण की हर तरह से सहायता करना ।
- 33- खेलों को बढ़ावा देना, खेलों के प्रति गावों एवं शहरों में अभिरुचि पैदा करना व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना ।
- 34- संस्था के माध्यम से शासन से पूर्व अनुमति लेकर नर्सिंग कोर्स, टीचर्स ट्रेनिंग, इंजि० कालेज, मेडिकल कालेज की स्थापना व संचालन करना ।
- 35- संस्था के माध्यम से सरकार द्वारा जारी स्वरोजगार परक योजना में सहायता व सहयोग करके शिक्षित बेरोजगारों को जानकारी देने का प्रयास करना ।
- 36- देश की बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी तथा भिक्षावृत्ति की रोकथाम का प्रयास करना ।

Handy



- समाज के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर एवं विज्ञान एवं मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज इंजीनियरिंग कालेज, टेक्निकल, प्रोफेशनल कालेजों एवं लॉ कालेजों की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना ।
- 38- नवयुवक एवं नवयुवतियों को मकैनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड के साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना ।
- 39- निर्बलों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करना सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना ।
- 40- समाज में व्यवसायपरक कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी एवं बिजनेस मैनेजमेन्ट कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक कॉलेजों की स्थापना करना ।
- 41- भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जैसे कौशल विकास योजना, बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस, डिजिटल इण्डिया, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इण्डिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इत्यादी का प्रचार प्रसार करना तथा योजनाओं के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी व जागरूक करना तथा लोगों को उपरोक्त योजनाओं के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।
- 42- समाज के उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं के स्थापनार्थ एवं संचालन से सम्बन्धित कार्य करना तथा समाज के पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की महिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे-कम्प्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डी०टी०पी०, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण, रेक्सीन कला, गृहसज्जा, आचार, मुख्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्यूटीपार्लर की जानकारी देना तथा खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमड़ा उद्योग, रेक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना ।
- 43- समाज के पिछड़े वर्ग हेतु औद्योगिक जैसे टाइपिंग, कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, रेडियो ट्रेनिंग, लघु तथा कुटीर उद्योग, मोटर बाईडिंग, टी० वी० प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के प्रति प्रयास करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उसे संचालित करना ।
- 44- कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों, उर्वरक, बीज, सिंचाई के साधन, तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषकों को निःशुल्क दिलाना । जिससे कृषि उपज को बढ़ावा मिल सके एवं उद्यान विभाग, मशरूम बोर्ड, कृषि विभाग उ०प्र०, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक वनौषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा लोगों को निःशुल्क वितरण करना ।



- पशुपालन, गौ पालन व गौशाला व मत्स्य पालन, ईमू पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन रेशम कीट पालन, भेड़ों का पालन तथा उपयोगी पशु पक्षियों के पालन तथा उनसे प्राप्त होने वाले वस्तुओं के उपयोग को जन जन तक पहुँचा कर उनकी उपयोगिता के लाम को समाज के हर वर्गों तक पहुँचाने के सभी कार्य करना।
- 46- महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, ललितकला, संगीत, गायन, वादन, नाटक, कवि गोष्ठियों तथा सांस्कृतिक विकास, डांस कम्पीटशन, चिकन जरी, डाल मेकिंग, पलावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, आफसेट प्रिंटिंग, पेन्टिंग, वाल पेन्टिंग, खादी एवं हस्त शिल्पकला मिट्टी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वात्मन की भावना जागृत करना।
- 47- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति एवं पैटर्न के अनुसार काष्ठ कला, लौहकला एवं अन्य ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना, प्रचार प्रसार व संचालन करना।
- 48- मशरूम उत्पादन, कृषकों की गोष्ठियों का आयोजन, बागवानी, होल्टिकल्चर विभाग के माध्यम से नर्सरी, कृषकों को नई तकनीकी पत्तल, आचार, जैम, जेली, मुरब्बा, अनाज दाल प्रशाघन खाद्य प्रसंस्करण आदि का महिलाओं/युवाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना एवं महिमा समूहों/युवा केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना तथा राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव शिविरों का आयोजन करना एवं पशुपालन तथा डेरी मिल्क इकाई विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग तथा कुटीर उद्योग, मछली पालन, मुर्गी पालन, मक्खी पालन तथा रेशम कीट का पालन, शरीकल्चर उद्योग की जानकारी करना।
- 49- गाँव में उपलब्ध अस्थायी कृषि वेस्ट, किचन वेस्ट, गोबर तथा अन्य बेकार पदार्थों का समुचित उपयोग करते हुए नवीनतम तकनीकी को अपनाने हेतु प्रेरित करना तथा इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर उसका संचालन करना तथा ग्राम्य विकास के लिए योजनाएँ बनाना तथा उसे क्रियान्वित कराना एवं ग्रामीण तथा शहरी अंचल ने कूड़े-कचरे के प्रबंधनकी उचित व्यवस्था करना एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय, पेय जल एवं अन्य स्वच्छता कार्यक्रमों का संचालन करना।
- 50- राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने तथा उससे सम्बन्धित हर संभव प्रयास एवं कार्य करना।
- 51- लालजी बाबा ट्रस्ट के माध्यम से जो भी कार्य किया जायेगा ट्रस्ट में निहित पदाधिकारी व सदस्यों के सहमती के आधार पर उक्त ट्रस्ट के हित में किये जायेगे, इस ट्रस्ट में किसी प्रकार का कोई सम्पत्ति ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के दिनांक तक नहीं हैं।

Shady



स्मृति-पत्र

- 1- संस्था का नाम :- लालजी बाबा ट्रस्ट
- 2- संस्था का पूरा पता :- वार्ड नं०-21. बुद्धनगरी, झुंगवा पोस्ट कुशीनगर
तहसील कसया, जनपद कुशीनगर।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
- 4- संस्था का मुख्य उद्देश्य
 - 1- सामाजिक विकास सम्बन्धी समस्त कार्यों का संचालन करना।
 - 2- संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, वाणिज्य व अन्य विषयों तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना, प्ले वे, प्राइमरी, से लेकर जू० हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व उच्च स्तर तक के विद्यालय, महाविद्यालय, कन्या विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, यू०पी० बोर्ड माध्यम के विद्यालय, सी०बी०एस०ई० माध्यम के विद्यालय, आई०सी०एस०ई० माध्यम विद्यालय, खोलना व संचालित करना।

अन्य उद्देश्य :-

- 3- संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, वाणिज्य व अन्य विषयों तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना, प्ले वे, प्राइमरी से लेकर जू० हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व उच्च स्तर तक के विद्यालय, महाविद्यालय, कन्या विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय यू०पी० बोर्ड माध्यम के विद्यालय सी०बी०एस०ई० माध्यम विद्यालय, आई०सी०एस०ई० माध्यम के विद्यालय, खोलना, व संचालित करता।
- 4- समाज के अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग की बालिकाओं/महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, फल संरक्षण, रेक्सीनकला, गृह सज्जा, अचार, मुरब्बा, चटनी बनाने व कम्प्यूटर तकनीकी का प्रशिक्षण देना।
- 5- खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमड़ा उद्योग से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना, तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।
- 6- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा, पेयजल, नाली, सीवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलीन बस्तियों की सफाई के कार्यों में सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का निःशुल्क प्रचार-प्रसार करना व हौम्योपैथ के बारे में जानकारी देना व होम्योपैथ चिकित्सालय के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराना व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्य करना।

ग-सूचना अवधि- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी।

घ-गणपूर्ति- साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों में से 2/3 होगा।

ड-वार्षिक अधिवेशनकी तिथि -संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार होगा।

Handwritten signature



-साधारण सभा के कर्तव्य-

- 1- प्रबन्ध समिति का गठन करना।
- 2- प्रबन्ध समिति द्वारा किया गया गत वर्षों का आय-व्यय स्वीकृत करना तथा आगामी वर्ष के लिए व्यय की संस्तुति प्रदान करना।
- 3- आय-व्यय निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना।
- 4- संस्था के पूर्ण अभिलेखों पर अधिकार रखना।
- 5- सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकृत करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति

- क-गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 05 पदाधिकारी व 04 सदस्य होंगे कुल संख्या 09 की होगी।
- ख-बैठक-प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व बुलाई जा सकती है।
- ग-सूचना-अवधि प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।
- घ-गणपूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति की पूर्ति कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।
- ङ-रिक्त स्थानों की पूर्ति- किसी भी रिक्त स्थानों की साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य:-

- 1 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का चयन व उनका सफलतापूर्वक आयोजन/क्रियान्वयन करना।
- 2 आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा वार्षिक आय व्यय का बजट बना कर साधारण सभा से अनुमोदन कराना।
- 3 संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना एवं आवश्यकता अनुसार कार्यालय का स्थानान्तरण करना।
- 4 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति तथा उप समितियों का गठन करना।
- 5 सचिव द्वारा प्राप्त हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट मंजूर करना।
- 6 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
- 7 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अप्रवासी भारतीयों से दान एवं उपहार प्राप्त करना।
- 8 प्रान्तीय, केन्द्रीय सरकार, संस्था एजेंसी तथा बैंको द्वारा कार्यक्रमों के संचालन हेतु ऋण व अनुदान प्राप्त करना तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं खादीग्रामोद्योग/राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्था व्यक्ति/व्यक्तियों, विदेशी संगठनों से चन्दा, दान, उपहार ऋण व अनुदान प्राप्त करना तथा संस्था की चल-अचल सम्पत्ति के क्रय का अधिकार सर्वसम्मति से सचिव को होगा तथा संस्था के विकास के बावत संस्था की सम्पत्ति को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने का अधिकार सचिव को होगा।
- 9 विशेषज्ञों, बुद्धजीवियों से परामर्श लेना तथा सलाहकार समितियों का गठन करना।



केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, बैंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट व अन्य समाज सेवी संस्थाओं से दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।

11 आई०सी०एस०ई०/सी०बी०एस०ई० बोर्ड के नियम तथा प्रतिबन्ध मान्य होंगे

क विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ख विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

ग संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोश अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

घ संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से काम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

ङ कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

च राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

छ विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा, यदि हो तो कृपया प्रबन्धकारिणी का विद्यालय के विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम के से झ तक स्वीकार है।

ज उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

12 संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों को उपलब्ध कराना तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेश का पालन करना।

13 समिति विभिन्न विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त कर महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण हेतु बी०एड०, बी०पी०एड० तथा बी०टी०सी० का प्रशिक्षण हेतु विद्यालय की स्थापना करना।

14 संस्था यदि किसी ट्रस्ट का निर्माण करती है तो समिति के नियम नियमावली एक ही होगी।

15 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं को तैयार करना तथा संस्था संचालित विद्यालय को विभाग/शासन से सम्बद्धता कायम करना।

16 समिति द्वारा जितने भी स्कूल खोले जायेंगे उसके लिए एक ही प्रबंधसमिति होगी।



प्रबन्धसमिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य रु-

अध्यक्ष

- 1- सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।
- 2- बैठकों को बुलाना व अनुमोदन करना ।
- 3- बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करन एक निबन्धसोसाइ

उपाध्यक्ष

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये समस्त अधिकास व कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

सचिव

- 1- संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना ।
- 2- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा, दान, अनुदान, ऋण प्राप्त करना
- 3- आवश्यकता पड़ने पर संस्था के कार्यों/लेखों की जाँच करना ।
- 4- वार्षिक बजट तैयार करना ।
- 5- कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन एवं निलम्बन करना ।
- 6- सामाजिक कार्यों व शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का संचालन व देख रेख करना ।
- 7- संस्था से प्राप्त धन को संस्था के हित में खर्च करने का अधिकार सचिव को होगा ।
- 8- संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना व ऋण, अनुदान तथा क्रय के समस्त कागजातों पर हस्ताक्षर करना ।
- 9- संस्था की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।
- 10- कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना ।
- 11- चन्दा लेना व उसकी रसीद काटकर देने का अधिकार सचिव को होगा सचिव द्वारा जारी की गई रसीद ही मान्य होगी ।
- 12- समस्त अभिलेखों व प्रपत्रों को सुरक्षित रखना ।
- 13- संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना ।
- 14- राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धर्मार्थ कार्यों का आयोजन करवाना ।
- 15- बैठकों की दिनांक स्थान व समय निर्धारित करना ।
- 16- बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना ।

कार्यकाल

प्रबन्धकारिणी समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्यगणों का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं किसी भी पदाधिकारी व सदस्यो की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिस जो ही उस पद को धारण करेंगे ।

[Handwritten Signature]



सचिव

- 1- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा सौंपे गये समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वहन करना ।
- 2- सचिव के कार्यों में सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष

- 1- संस्था के लिए धन एकत्रित करना ।
- 2- संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो०आ० में संस्था के नाम से जमा करवाना ।
- 3- आय व्यय का लेखा जोखा रखना ।
- 4- आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर सचिव से प्रमाणित करवाना ।
- 5- आय व्यय का लेखा जोखा साधारण सभा में प्रस्तुत करना ।

11- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धाराओं के अनुसार ट्रस्ट संचालित किया जायेगा ।

(9) संस्था का कोष -

- अ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था की अपना एक कोष होगा । जिसमें सभी प्रकार का सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान, एवं सरकारी अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों से ली गई राशियां निहित होगी ।
- ब) संस्था के कोष की व्यवस्था के लिए इसके खाते किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में खोले जायेंगे जिसका संचालन सचिव/प्रबन्धक व उपसचिव/उपप्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा किया जाएगा ।

13-संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :-

संस्था के वर्ष भर के आय-व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा ।

- 14- संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व :-अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदमें अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेंगे एवं समस्त मुकदमों, वाद-प्रतिवादों की पैरवी सचिव के द्वारा की जायेगी ।

15- संस्था के अभिलेख

- 1-सदस्यता रजिस्टर
- 2-कार्यवाही रजिस्टर
- 3-सूचना रजिस्टर
- 4-स्टाक रजिस्टर
- 5-कैश बुक ।



घोषणा

मैं कि सुधाकर पाण्डेय उम्र-49 वर्ष, पुत्र श्री रामजी पाण्डेय पता- झुगवा पोस्ट कुशीनगर तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर, पिनकोड-274403 उत्तर प्रदेश, द्वारा लालजी बाबा ट्रस्ट के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना कि जा रही है जिसका प्रधान कार्यालय- झुगवा पोस्ट कुशीनगर तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर, पिनकोड-274403 उत्तर प्रदेश, हैं, की तरफ से मैं मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करता हूँ, कि उपरोक्त न्यासपत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वच्छमन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच समझकर इस न्यासपत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है जिसे इस न्यास का विधिवत गठन हो सके। यह भी घोषणा करते हैं, कि वर्तमान में ट्रस्ट के पास ट्रस्ट विलेख में उल्लेखित मु0-11000/-रुपये की धनराशि के आलावा अन्य कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है।

Handwritten signature



संजीव शर्मा

गवाह 1 - संजीव शर्मा S/o महेश्वरी

पता - अडरौना फरसेमी लि0- कुशीनगर



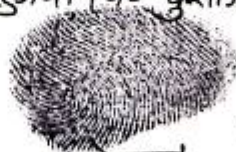
धीरेन्द्र कुमार

गवाह न. 2 - धीरेन्द्र कुमार S/o कमला प्रसाद

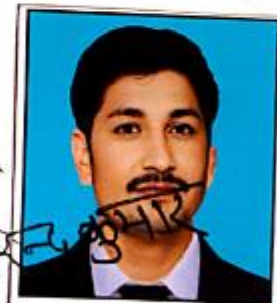
पता - वार्ड नं0 21 कुशीनगरी, झुगवा लि0- कुशीनगर



संजीव शर्मा



धीरेन्द्र कुमार



जितेन्द्र शर्मा (रड)

Handwritten signature

COP.No-258721





आवेदन सं०: 202600957003440

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 37 के पृष्ठ 165 से 190 तक क्रमांक 31 पर दिनांक
08/05/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्रशेखर शाही.
उप निबंधक : कसया
कुशीनगर
08/05/2026





पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र

Certificate of Registered Document.

श्री/श्रीमती/सुश्री सुधाकर पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12-05-2026 के क्रम में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार प्रमाणित किया जाता है कि लेखपत्र जिसका विवरण निम्न है, को कार्यालय उप निबंधक कसया जनपद कुशीनगर के बही संख्या 4(विविध लेखपत्र) खण्ड/जिल्द संख्या 37 पृष्ठ संख्या- 165 से 190 क्रमांक 31 दिनांक 08-05-2026 को निबंधित / पंजीकृत किया गया है।

- लेखपत्र का प्रकार न्यास पत्र
- प्रथम पक्ष का नाम 1.श्री सुधाकर पाण्डेय
- द्वितीय पक्ष का नाम
- सम्पत्ति का विवरण .0 हे/ वर्ग मी
- सम्पत्ति अवस्थिति कसया, कुशीनगर
- लेखपत्र में अदा स्टाम्प शुल्क रु० 800/-
- लेखपत्र में अदा निबंधन शुल्क रु० 500/-

Chandra

Shekhar Shahi

Digitally signed by
Chandra Shekhar Shahi
Date: 2026.05.15

उप निबंधक/रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी

कार्यालय कसया जनपद कुशीनगर

दिनांक 15-05-2026